378

486

न्यायालय : मानुनीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा, म0प्र0.

निगरानी क्र0/ /017

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED CANCELLED

Rs.30/-

II) निग.) रीवा/ 72.2.) 2017/6192

अवधनरेशतनय स्व0 ~~स्व~~ श्री रामरूप मिश्रा निवासी ग्राम बीडा, तह0 सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0.

-----आवेदक/निगराकार

बनाम्

रामनरेश पिता स्व0 रामरूप मिश्रा निवासी ग्राम बीडा, छिरहा, थाना सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0.

----अना0/गैर निगराकार

अधि0 श्री मनोज कु.तिवारी
द्वारा पेश/ 18.12.17

[signature]

... कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर जो राजस्व प्र0क्र09-ए/70/2015-16 मे दिनांक 13.05.016 को पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :- आवेदक व अनावेदक सगे भाईहै, जिनका बंटवारा पूर्व मे हो चुका है, व अपने अपने भूमि पर काबिज व दखील रहेकिंतु भूमि ख0नं0 1671 रकवा 0.380है0, जो आवादी कीभूमि है, जिस पर आवेदक अना0गण का माकान बना है, व खुली भूमि पर निस्तार करते है, जिस भूमि मे अन्य भाईयों सहित आवेदक व अनावेदक को 0.15है0, -0.015है0 भूमि हिस्सेमेमिली है, जब अना0 ने उक्त भूमि मे 0.015है0, से अधिक रकवे पर आवेदक की भूमिअतिक्रमण करते हुए माकान का निर्माण करने लगा तब आवेदक ने तहसीलदार के न्यायालय मे अना0 को

निरंतर...

(540) (378)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 6192** जिला–रीवा

अवधनरेश मिश्रा / रामनरेश मिश्रा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त शाहपुर, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 09 / अ–70 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	